

124

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा ₹ 40 प्र०



R-5030-II/16

चन्द्रा कुमार पिता स्व० श्री रतिया कुमार उम्र 40 वर्ष पेशा खेती निवासी

कुदरी थाना सीधी तहसील जयसिंह नगर जिला शहडोल ₹ 40 प्र०

-----आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. कौशल तनय विश्वेश्वर उम्र 55 वर्ष निवासी कुदरी थाना सीधी तहसील जयसिंह नगर जिला शहडोल ₹ 40 प्र०
2. तुलसी दास गुप्ता तनय स्वामी दीन गुप्ता निवासी ग्राम कुदरी थाना सीधी तहसील जयसिंह नगर जिला शहडोल ₹ 40 प्र०
3. गोरे लाल तनय विष्णु कुमार उम्र 50 साल निवासी ग्राम कुदरी थाना सीधी तहसील जयसिंह नगर जिला शहडोल ₹ 40 प्र०

4. शासन म० प्र०

---अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता गिण

दिनांक 20-1-16
मया
सर्किट कोर्ट रीवा


निगरानी विस्तृत आदेश तहसीलद्वारा दिनांक 19-6-15 तहसील जयसिंह नगर जिला शहडोल । अस्सर्कलत धारा 50 म० प्र० भू० राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नानुसार है :-

1. यह कि अदालत मातहत का फैसला विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार नहीं है । अदालत मातहत में बहुत बड़ी कानूनी व नियमों के संबंध में भूल की है ।

अज्ञेय
चक्र




राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०R.5030-II/16

जिला-शहडोल

चन्दा चमार/कौशल प्रसाद वगैरः

(1)	(2)	(3)
14.03.18	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	